

लोक शिक्षण संचालनालय  
मध्यप्रदेश

क्रमांक/शिक्षाकर्मी/12/2009/ 304  
प्रति,

भोपाल, दिनांक 16.7.09

जिला शिक्षा अधिकारी,  
जिला-दतिया, राजगढ़, होशंगाबाद एवं विदिशा,  
मध्यप्रदेश


विषय:-स्थानांतरण के संबंध में।

—0—

विषयांतर्गत लेख है कि माननीय मंत्री, स्कूल शिक्षा द्वारा प्राप्त टीप/पत्र में संविदा शाला शिक्षकों के स्थानांतरण, के संबंध में प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु निर्देश दिए गए हैं। इस संबंध में वस्तुस्थिति निम्नानुसार है:-


क्र.	आवेदक का नाम, पदनाम एवं शाला का नाम	जिला	प्रकरण की स्थिति
1	2	3	4
1	कु.अनीता राजौरिया, संविदा शाला शिक्षक वर्ग-1, शा.उ.मा.वि.महारानी लक्ष्मीबाई दतिया	दतिया	भर्ती नियमों में प्रावधान अनुसार संविदा शाला शिक्षकों की नियुक्ति शाला विशेष के पद पर की जाती है। अतः आवेदक को नियमानुसार संविलियन की पात्रता नहीं है।
2	श्रीमती फरीदा खान, संविदा अध्यापक, शा.मा.वि.पिपल्या, देव जनशिक्षा केन्द्र उदनखेडी जिला राजगढ़	राजगढ़	भर्ती नियमों में प्रावधान अनुसार संविदा शाला शिक्षकों की नियुक्ति शाला विशेष के पद पर की जाती है। अतः आवेदिका को संविलियन की पात्रता नहीं है।
3	कु.अभिलाषा बोहरा, संविदा शाला शिक्षक वर्ग-2 मा.शा.बुधवाडा	होशंगाबाद	भर्ती नियमों में प्रावधान अनुसार संविदा शाला शिक्षकों की नियुक्ति शाला विशेष के पद पर की जाती है। अतः आवेदिका को संविलियन की पात्रता नहीं है।
4	श्रीमती लीना शेन्डे, सं.शा.श्रेणी-1 गणित शा.उ.मा.वि.ग्यारसपुर जि विदिशा	विदिशा	भर्ती नियमों में प्रावधान अनुसार संविदा शाला शिक्षकों की नियुक्ति शाला विशेष के पद पर की जाती है। अतः आवेदक को संविलियन की पात्रता नहीं है।

अतएव कृपया उक्त वस्तुस्थिति से संबंधित आवेदिका को आपके स्तर से अवगत कराने का कष्ट करें।  
संचालक द्वारा अनुमोदित

  
13.7.09  
उप संचालक  
लोक शिक्षण, म.प्र.

पृष्ठांकन 305  
प्रतिलिपि :-

- विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
- तालिका कॉलम क्रमांक दो में वर्णित संबंधित आवेदिका की ओर सूचनार्थ।

  
13.7.09  
उप संचालक  
लोक शिक्षण, म.प्र.

msed

लोक शिक्षण संचालनालय  
मध्य प्रदेश

क्रमांक/शिक्षाकर्म/12/2009/304  
प्रति,

भोपाल, दिनांक 16.7.09

कलेक्टर,  
जिला-भोपाल,  
मध्यप्रदेश.

विषय:-सेवा बहाली हेतु आवेदन पत्र !

—0—


विषयांतर्गत माननीय मंत्री, स्कूल शिक्षा से प्राप्त टीप क्रमांक 1281 दिनांक 14.06.09 के साथ संलग्न सहपत्रों का अवलोकन करने का कष्ट करें जिसकी छायाप्रति संलग्न है जिसमें श्री शकील मो. खान, संविदा शाला शिक्षक श्रेणी-3 शा.भा.शा. पिपलिया जाहिरपीर, ग्राम चोपडाकलां जिला भोपाल को चिकित्सा अवकाश में रहते हुए सेवा से पृथक किया गया था, को पुनः सेवा में बहाल किए जाने के संबंध में उल्लेख किया गया है।


अतएव इस संबंध में आपके स्तर से प्रकरण में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करते हुए मा. मंत्री जी, स्कूल शिक्षा को अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार

पृष्ठांकन क्रमांक/शिक्षाकर्म/12/2009/305  
प्रतिलिपि :-

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. जिला शिक्षा अधिकारी, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश।

  
संयुक्त संचालक 15.07.09  
लोक शिक्षण, म.प्र.  
भोपाल, दिनांक 16.7.09

  
संयुक्त संचालक 15.07.09  
लोक शिक्षण, म.प्र.

लोक शिक्षण संचालनालय  
मध्यप्रदेश

क्रमांक/शिक्षाकर्म/12/2009/304  
प्रति,

भोपाल, दिनांक 16.7.09

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,  
जिला पंचायत छतरपुर,  
जिला छतरपुर  
मध्यप्रदेश.


विषय:- अध्यापक संवर्ग में संविलियन किए जाने के संबंध में।

—0—

विषयांतर्गत माननीय मंत्री, स्कूल शिक्षा से प्राप्त टीप क्रमांक 1412 दिनांक 24.06.09 की छायाप्रति संलग्न है जिसमें श्रीमती साधना शर्मा, संविदा शाला शिक्षक श्रेणी-3, शा.प्रा.शा. मऊ, जनपद पंचायत नौगांव, जिला छतरपुर द्वारा अध्यापक संवर्ग में संविलियन किए जाने हेतु परीक्षण कर समुचित कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए हैं।

अतएव इस संबंध में आपके स्तर से नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करते हुए मान. मंत्री जी, स्कूल शिक्षा एवं आदेशिका को अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार


  
संयुक्त संचालक 15.07.09

लोक शिक्षण, म.प्र.

भोपाल, दिनांक 16.7.09

पृष्ठांकन क्रमांक/शिक्षाकर्म/12/2009/305  
प्रतिलिपि :-

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. जिला शिक्षा अधिकारी, जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश।
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत नौगांव, जिला छतरपुर की ओर सूचनार्थ।

  
संयुक्त संचालक 15.07.09  
लोक शिक्षण, म.प्र.